म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल

संशोधन पत्र

विषय : म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल भोपाल द्वारा निर्माण कार्य(सिविल) में उन्नत तकनीकी कार्य प्रशिक्षण हेतु , क्रियान्वयन एजेंसी के चयन हेतु "रुचि की अभिव्यक्ति " विज्ञापन दिनांक 17-02-2021 में प्रारूप विवरण एवं जानकारी के संबंध में संशोधन :

1. दिनांक एवं समय सारणी के बिन्दु क्रमांक 4 में "रुचि की अभिव्यक्ति" खुलने की तारीख **12-03-2021 के साथ समय "अपरान्ह दोपहर 03:00 बजे"** का निर्धारण किया गया है ।
2. दिनांक एवं समय सारणी के बिन्दु क्रमांक 5 एवं अन्य समस्त पृष्टों पर **आमंत्रण पत्र शुल्क संशोधित रु. 5000 +18% जी.एस.टी** ।
3. उन समस्त पृष्टों पर जहां "मुख्या लेखाधिकारी म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल" लिखा है । उसे **"मुख्य लेखाधिकारी म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल"** संशोधित किया जाता है।
4. उन समस्त पृष्टों पर जहां कार्यालय का पता लिखा है उसे संशोधन कर **"कार्यालय अपर आयुक्त -2 , पता 3-4 मंजिल ब्लॉक-3 पर्यावास भवन , मदर टेरेसा मार्ग ,भोपाल, 462011 (म.प्र)"** पढ़ा जावे।
5. उन समस्त पृष्टों पर जहां **स्नातक उपाधि** अंकित है । वहाँ पर **"स्नातक उपाधि /अन्य समकक्ष संबंधित दस्तावेज "** किया जाता है।

अपर आयुक्त - 2

म. प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना

विकास मंडल मुख्यालय भोपाल,

म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, मुख्यालय भोपाल

मुख्यालय म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल (म. प्र.) भोपाल द्वारा निर्माण कार्य (सिविल) में उन्नत तकनीकी कार्य प्रशिक्षण हेतु क्रियान्वयन एजेंसी के चयन हेतु "रुचि की अभिव्यक्ति" निर्धारित प्रपत्रों में आमंत्रित की जाती है ।"रुचि की अभिव्यक्ति" हेतु दिनांक एवं समय सारणी :

क्रं.	विवरण	जानकारी
1.	"रुचि की अभिव्यक्ति" क्रं.	क्रमांक 01 / अ.आ./तक-2/2021
2.	"रुचि की अभिव्यक्ति" जारी करने की तारीख	17.02.2021
3.	"रुचि की अभिव्यक्ति"जमा करने की अंतिम तारीख	10.03.2021 समय 03 PM
4.	"रुचि की अभिव्यक्ति" खुलने की तारीख।	11.03.2021
5.	आमंत्रण पत्र शुल्क ।	रु 5000/-
6.	"रुचि की अभिव्यक्ति" जमा करने हेतु मुख्यालय का पता	**पता 3 - 4 मंजिल ब्लाक-3, पर्यावास भवन,मदर टेरेसा मार्ग भोपाल-462011(म.प्र.)**
7.	वेबसाईट	http://www.mphousing.in
8.	"रुचि की अभिव्यक्ति" का धरोहर राशि(EMD)	रु 2,00,000/-
9.	संपर्क :	दूरभाष: .0755.2551659, 2550987,2554809

आवेदित क्रियान्वयन संस्था को आवेदन के साथ आवेदन शुल्क के रूप में रु.5000/- का डिमांड ड्राफ्ट जो की **मुख्या लेखा अधिकारी** म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, मुख्यालय भोपाल के पक्ष में देय होगा, संलग्न करना अनिवार्य है। बिना आवेदन शुक्ल के आवेदन पत्र अपात्र माना जाएगा। आवेदन पत्र/प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 10/03/2021 सायं 03:00 बजे तक होगी। उक्त समय के पूर्व आवेदन/प्रस्ताव डाक के माध्यम से कार्यालय पता **3 - 4 मंजिल, ब्लाक-3, पर्यावास भवन,मदर टेरेसा मार्ग, भोपाल-462011(म.प्र.)**, पहुँचाने की समस्त जवाबदारी संबंधित आवेदित संस्था की होगी। संबंधित समय के उपरांत प्राप्त आवेदन एवं अपूर्ण आवेदन अमान्य होकर उन पर विचार नहीं किया जाएगा।

अपर आयुक्त - 2
म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना
विकास मंडल मुख्यालय भोपाल

रुचि की अभिव्यक्ति में भाग लेने वाली संस्थाओं हेतु अनिवार्य अहर्ताए :

मुख्यालय म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल (म. प्र.) भोपाल द्वारा मंडल अधिनिया 1972 अध्याय IX(e) निर्माण कार्य (सिविल) में उन्नत तकनीकी कार्य प्रशिक्षण हेतु संस्थाओं के मनोनयन हेतु अनिवार्य अहर्ताए :

1. ऐसी गैरशासकीय क्रियान्वयन एजेंसी का PRIVATE LIMITED/LIMITED कंपनी (कंपनी ऐक्ट 1956/कंपनी ऐक्ट 2013), PROPERITORSHIP/PARTNERSHIP FIRM, सोसाइटी नियमों के तहत भारत में न्यूनतम 3 वर्षों से पंजीयन आवश्यक है ।
2. ऐसी क्रियान्वयन एजेंसी जिनकी विगत तीन वर्षो का औसत टर्न ओवर 25 लाख हो। (सनदी लेखाकार द्वारा जारी टर्न ओवर का प्रमाण पत्र UDIN नंबर के साथ)।
3. क्रियान्वयन एजेंसी को आवेदन के साथ सनदी लेखाकार से सत्यापित विगत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट संलग्न करना आवश्यक है।
4. क्रियान्वयन एजेंसी को वितीय वर्ष 2017-18,2018-19,2019-20 तक का आयकर विवरण (ITR) संलग्न करना आवश्यक है ।
5. क्रियान्वयन एजेंसी का नीति आयोग में पंजीयन।
6. क्रियान्वयन एजेंसी को भारत सरकार/राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश सरकार/अन्य किसी केंद्र एवं राज्य सरकार के उपक्रम द्वारा काली सूची में नहीं रखा गया हो। 100 रुपए के stamp पेपर पर शपथ पत्र।
7. संस्था के पास शासकीय संस्था द्वारा प्रदत्त ट्रैनिंग संबंधी न्यूनतम एक कार्यदेश/स्वीकृति/अनुबंध/पत्र न्यूनतम 10 लाख का होना आवश्यक है।
8. क्रियान्वयन एजेंसी के Payroll पर स्नातक सिविल इंजीनियर जिसे किसी शासकीय/अर्धशासकीय/शासनाधिन स्वायत्त, निर्माण विभाग/मंडल में कुल सेवा वर्षो में से न्यूनतम 10 वर्षों का भवन निर्माण कार्य के साथ रखरखाव का अनुभव प्राप्त हो, नियुक्त होना चाहिए। (Resume + स्नातक उपाधि + शपथ पत्र)
9. क्रियान्वयन एजेंसी के पास GST NO. (यदि लागू हो) होना आवश्यक है।
10. आवेदित क्रियान्वयन संस्था को आवेदन के साथ आवेदन शुल्क क रूप में रु.5000/- का डिमांड ड्राफ्ट जो की **मुख्या लेखा अधिकारी** म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, मुख्यालय भोपाल के पक्ष में देय होगा, संलग्न करना अनिवार्य है। बिना आवेदन शुक्ल के आवेदन पत्र अपात्र माना जाएगा ।
11. आवेदित क्रियान्वयन संस्था को आवेदन के साथ धरोहर राशि के रूप में रु.2,00,000/- का F.D.R (तीन वर्ष की वैधता के साथ) जो की **मुख्या लेखा अधिकारी** म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, मुख्यालय भोपाल के पक्ष में देय होगा, संलग्न करना अनिवार्य है। बिना धरोहर राशि के आवेदन पत्र अपात्र माना जाएगा ।
12. आवेदन पत्र/प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 10/03/2021 सायं 03:00 बजे तक होगी। उक्त समय के पूर्व आवेदन/प्रस्ताव डाक के माध्यम से कार्यालय **पता 3 - 4 मंजिल, ब्लाक-3, पर्यावास भवन,मदर टेरेसा मार्ग, भोपाल-462011(म.प्र.),** पर पहुँचाने की समस्त जवाबदारी संबंधित आवेदित संस्था की होगी। संबंधित समय के उपरांत प्राप्त आवेदन एवं अपूर्ण आवेदन अमान्य होकर उन पर विचार नहीं किया जाएगा।

:: नियम एवं शर्तें ::

1. मंडल को प्रशिक्षण हेतु जिन नियम एवं शर्तों के आधार पर संबंधित राशि प्रदाता विभाग से कार्यादेश प्राप्त होगा, मंडल उन्ही समस्त शर्तों के आधार पर क्रियान्वयन एजेंसी से अनुबंध संपादित करेगा।
2. अनुबंध की शर्तों की अवहेलना करने पर मंडल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।
3. चयनित संस्था के द्वारा गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य होगा।
4. प्रशिक्षण हेतु क्रियान्वयन एजेंसी के पास पर्याप्त अधोसंरचना, प्रशिक्षण विषय से संबंधित सहायक सामग्री, उपकरण, संसाधन एवं योग्य अनुभवी सार्थक परिणाम देने वाले प्रशिक्षक आवश्यक है।
5. क्रियान्वयन एजेंसी को मंडल द्वारा अनुबंध में उल्लेखित समस्त कार्य स्वयं करना आवश्यक है।
6. चयनित क्रियान्वयन एजेंसी का मनोनयन आगामी 3 वर्षों के लिए होगा। तदुपरांत क्रियान्वयन एजेंसी के प्रदर्शन एवं गुणवत्ता के आधार पर कार्यावधि बढ़ाई जा सकेगी।
7. प्रशिक्षण कार्य हेतु मनोनीत की गई क्रियान्वयन एजेंसी को कार्य की उपलब्धता के अनुसार ही प्रशिक्षण कार्य प्रदान किया जाएगा। क्रियान्वयन एजेंसी को कार्य प्रदान करने हेतु मंडल बाध्य नहीं होगा।
8. प्रशिक्षण अवधि में शासन द्वारा जारी कोविड -19 संबंधी guidelines का पालन करना अनिवार्य होगा।
9. आवेदन/प्रस्तावों को स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक से राज्य मुख्यालय के पते पर भेज जाना आवश्यक है।
10. आवेदन पत्र/प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 10/03/2021 सायं 03:00 बजे तक होगी।

    उक्त समय के पूर्व आवेदन/प्रस्ताव डाक के माध्यम से कार्यालय **पता 3 - 4 मंजिल, ब्लाक-3, पर्यावास भवन,मदर टेरेसा मार्ग, भोपाल-462011(म.प्र.),** पर पहुँचाने की समस्त जवाबदारी संबंधित आवेदित संस्था की होगी। संबंधित समय के उपरांत प्राप्त आवेदन एवं अपूर्ण आवेदन अमान्य होकर उन पर विचार नहीं किया जाएगा।
11. आवेदित क्रियान्वयन संस्था को आवेदन के साथ आवेदन शुल्क क रूप में रु.5000/- का डिमांड ड्राफ्ट जो की **मुख्या लेखा अधिकारी** म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, मुख्यालय भोपाल के पक्ष में देय होगा, संलग्न करना अनिवार्य है। बिना आवेदन शुक्ल के आवेदन पत्र अपात्र माना जाएगा।
12. आवेदित क्रियान्वयन संस्था को आवेदन के साथ धरोहर राशि के रूप में रु.2,00,000/- का F.D.R (तीन वर्ष की वैधता क साथ) जो की **मुख्या लेखा अधिकारी** म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, मुख्यालय भोपाल के पक्ष में देय होगा, संलग्न करना अनिवार्य है। अपात्र संस्थाओं की धरोहर राशि वापस प्रस्ताव अवलोकन दिनांक से 15 दिवस पश्चात लौट दी जावेगी। चयनित संस्थाओं की धरोहर राशि अमानत स्वरूप 3 वर्ष क लिए मंडल के पास जमा रहेगी।
13. किसी आवेदन को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का सर्वाधिकार विभाग के पास सुरक्षित होंगे।
14. **प्रशिक्षण लागत दर का निर्धारण एवं विभाजन** : मंडल को राशि प्रदाता संस्था से जिस दर एवं नियमों क आधार पर प्रशिक्षण राशि प्राप्त होगी उस राशि में से मंडल 6% सुपर विज़न चार्ज का कटोत्री करके बाकी की राशि नियमानुसार क्रियान्वयन एजेंसी को प्रदान की जावेगी।
15. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में मंडल आयुक्त का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा। निविदा प्रस्ताव निरस्त/लोकहित में वर्णित शर्तों में परिवर्तन का अधिकार नोडल अधिकारी (अपर आयुक्त -2) मंडल, के पास सुरक्षित रहेगा।

:: क्रियान्वयन एजेंसी के चयन हेतु तकनीकी योग्यता स्कोर मेट्रिक्स ::

क्रं.	विवरण	स्कोर विभाजन	अधिकतम स्कोर	वांछनीय दस्तावेज
01	संस्था का पंजीयन विज्ञप्ति प्रसारण के दिनांक से न्यूनतम 3 वर्ष का हो	03 वर्ष - 06 वर्ष : 05 अंक 06 वर्ष से अधिक : 10 अंक	10 अंक	पंजीयन प्रमाणपत्र /संबंधित दस्तावेज
02	शासकीय/अर्धशासकीय विभाग द्वारा जारी कौशल विकास कार्य संबंधी न्यूनतम एक कार्यादेश/स्वीकृति/ अनुबंध पत्र	10लाख - 25 लाख :10 अंक 25 लाख - 50लाख :20 अंक	20 अंक	कार्यादेश/स्वीकृति/ अनुबंध पत्र
03	विगत 3 वर्षों का औसत टर्न ओवर	25 लाख -50 लाख :05 अंक 50 लाख से अधिक :10 अंक	10 अंक	सनदी लेखाकार द्वारा जारी टर्न ओवर प्रमाण पत्र
04	क्रियान्वयन एजेंसी के Payroll पर स्नातक सिविल इंजीनियर जिसे किसी शासकीय/ अर्धशासकीय/शासनाधिन स्वायत्त, निर्माण विभाग/मंडल में कुल सेवा वर्षों में से न्यूनतम 10 वर्षों का भवन निर्माण कार्य के साथ रखरखाव का अनुभव प्राप्त हो, नियुक्त होना चाहिए	10 वर्ष अनुभव : 10 अंक	10 अंक	स्नातक उपाधि, Resume, संबंधित विभागीय दस्तावेजो के साथ अनुभव हेतु शपथपत्र
05	क्रियान्वयन एजेंसी के पैरोल पर स्नातक सिविल इंजीनियर शासकीय/अर्धशासकीय/ शासनाधिन स्वायत, निर्माण विभाग/मंडल मे सेवा के न्यूनतम 10 वर्षो का अनुभव	10वर्ष -20 वर्ष :10 अंक 20वर्ष-30 वर्ष : 20 अंक	20 अंक	
06	प्रशिक्षण की कार्य योजना एवं दृष्टिकोण		30 अंक	कार्ययोजना संबंधी दस्तावेज
		कुल योग :	**100 अंक**	

म. प्र. गृ. नि. एवं अधोसंरचना विकास मंडल भोपाल (म.प्र.)प्रस्ताव का मूल्यांकन कर के तकनीकी योग्यता स्कोर मेट्रिक्स के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट अनुसार प्रथम 3 संस्थाओं को कार्य हेतु मनोनीत करेगा ।

अपर आयुक्त - 2
म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना
विकास मंडल मुख्यालय भोपाल